कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, सिवान

कार्यालय आदेश संख्या– 48/2016–17

मे0 लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रीकल्र्स वर्क्स, प्रो0–श्री राजकुमार अग्रवाल पिता श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, मकान सं0– 395 वार्ड नं0–20, लक्ष्मीपुर, सिसवन रोड सिवान जिला– सिवान को स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी 04 (चार) में निबंधन सं0 92 वर्ष 2014–15 अवधि दिनांक 05.05.2014 से 04.05.2019 (पांच वर्ष) में निबंधित किया गया था। नगर आयुक्त बिहार शरीफ नगर निगम, नालंदा द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रो0 श्री राज कुमार अग्रवाल द्वारा भवन निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी में निबंधन कराया गया है जिसका निबंधन संख्या द्वितीय प्रोपराईटर फर्म 71 भवन/15 अवधि दिनांक 30.04.2015 से 29.04.2020 है । पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना सं0– प्र0–6/नियम–03–04/2002 – 5737 (S), पटना दिनांक 07.05.2007 के कंडिका 4 के 'क' में स्पष्ट निर्देश है कि ऊपर वाले श्रेणी में निबंधन कराने पर निचली श्रेणी का निबंधन स्वतः रद्द समझा जायेगा । इसके बावजूद भी श्री अग्रवाल द्वारा चतुर्थ श्रेणी का निबंधन रद्द किए बिना यथा दोनों निबंधन का उपयोग किया जा रहा है । इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 1178 दिनांक 09.08.16 एवं पत्रांक 1302 दिनांक 27.08.16 द्वारा श्री अग्रवाल को एक सप्ताह के अंदर प्रमण्डलीय कार्यालय में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया था जो अभी तक अप्राप्त है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस कार्यालय द्वारा निर्गत निबंधन संख्या 92 वर्ष 2014–15 अवधि दिनांक 05.05.2014 से 04.05.2019 को निरस्त किया जाता है ।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमण्डल, सिवान

ज्ञापांक 1503 /दिनांक 01/10/16

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि बेवसाईट पर upload की जाय ताकि सभी कार्य विभाग को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके ।

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमण्डल, सिवान
28/9/16

30.09.16